न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट), प्रयागराज।
<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–770/2026</u>
UPAD010021572026

बबन सिंह पुत्र राम लोचन सिंह, निवासी ग्राम रत्योरा, थाना कोरांव जिला प्रयागराज।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

..... अभियोगी

मु0अ0सं0–35/2018
अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 447 भा.दं.सं. एवं
धारा–3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट
(सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–67/2023)
<u>थाना–खीरी, जनपद प्रयागराज।</u>

<u>दिनांक–18.03.2026</u>

यह **नियमित जमानत** प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त बबन सिंह की ओर से मु0अ0सं0–35/2018, अन्तर्गत धारा–323, 504, 506, 447 भा.दं.सं. एवं धारा–3(1)(द), 3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना–खीरी, जनपद–प्रयागराज, में प्रस्तुत किया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके पैरोकार तेज प्रताप सिंह द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी आराजी सं0–372 मि० रकबा 0.1140 हे0 स्थित मौजा कैथवल, तहसील–कोरांव जनपद–इलाहाबाद का संक्रमणीय भूमिधर मालिक काबीज दखील है तथा उपरोक्त आराजी प्रार्थी को पट्टे से प्राप्त हुई है तथा उपरोक्त आराजी का बैनामा तीसरे व्यक्ति से चाल–फरेब करके फर्जी ढंग से कुलझारी देवी पत्नी राम लोचन सिंह एवं श्रीमती गंगोत्री देवी पत्नी जय नारायण सिंह निष्पादित करा लिये थे, जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया तथा उपरोक्त लोगों का नाम दिनांक 12.06.2013 को खतौनी से निरस्त कर दिया गया। उसके बावजूद प्रार्थी की भूमिधरी भूमि में बबन सिंह, उमा शंकर सिंह व सत्येन्द्र सिंह, दिनांक 17.02.2018 को समय लगभग 9 बजे दिन जबरदस्ती लगभग 20 मजदूर एवं 5 मिस्त्री लगाकर अवैध पक्का निर्माण प्रारम्भ कर दिये है। प्रार्थी एवं उसकी बहू अनारकली एवं प्रार्थी की पत्नी रतनी द्वारा मना किया गया तो उपरोक्त लोग लात घूसों से पटक कर काफी मारे पीटे। जिस पर 100 नम्बर पर फोन किया गया लेकिन पुलिस द्वारा अवैध निर्माण को रुकवा दिया गया। लेकिन पुलिस वालों के

चले जाने पर पुनः निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया तथा प्रार्थी द्वारा पुनः मना किया गया तो पुनः प्रार्थी को मारा पीटा गया तथा हत्या करने की धमकी दी गयी तथा जाति सूचक शब्दों से साले, चमार की जाति से अपमानित किया गया तथा प्रार्थी को गरीब एवं कमजोर समझ कर पट्टे की भूमि पर अवैध निर्माण किया गया तथा पुनः दिनांक 18.02.2018 को निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया, जिस पर थानाध्यक्ष खीरी को सूचित किया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। तब उपजिलाधिकारी कोरांव को प्रार्थना पत्र दिया गया तथा उनके द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया लेकिन उसके बावजूद थाना खीरी की पुलिस द्वारा निर्माण को नहीं रुकवाया गया और नही पुलिस बल दिया गया तथा प्रार्थी द्वारा पुनः मना किया गया तो पुनः मारा पीटा गया और यह धमकी दी गयी कि जैसे चमार जाति की हो, चमार की तरह हो, ज्यादा नेता बने तो काटकर फेंक देगें लाश तक का पता नहीं चलेगा तथा पुलिस अधीक्षक जमुना पार तथा 100 न0 पर सूचना दी गयी तब थाना कोरांव की पुलिस आयी, तब निर्माण को रुकवायी तथा उपरोक्त लोगों से प्रार्थी की सम्पत्ति से कतई कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है और प्रार्थी द्वारा उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को बैनामा, इकरारनामा आदि नहीं किया गया है तथा उपरोक्त लोगों द्वारा फर्जी बैनामे के आधार पर दर्ज कराये गये नाम को भी निरस्त करा दिया गया है।

वादी मुकदमा उक्त तहरीर के आधार पर थाना खीरी प्रयागराज पर अभियुक्त बबन सिंह एवं अन्य के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–35/2018, धारा–323, 504, 506, 447 भा.दं.सं. व धारा–3(1)(द)3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्त बबन सिंह एवं अन्य के विरूद्व धारा–323, 504, 506, 447 भा.दं.सं. धारा–3(1)(द)3(1)(ध) एस.सी./एस.टी. एक्ट, में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से संक्षेप में यह तर्क दिया गया कि आवेदक निर्दोष है। अभियोजन कहानी सरासर गलत व झूठा है। प्रार्थी ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आराजी संख्या–372 मि. रकबा 0.1140 हे. मौजा कैथवल आबादी की भूमि है, जिसमें प्रार्थी का भी कब्जा, दखल व मकान है। अभियोजन द्वारा फर्जी तरीके मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त बनाया गया है, जबकि वादी मुकदमा को मारा पीटा नहीं है, न ही जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, गाली व जान से मारने की धमकी दिया है। प्रार्थी का जमीनी विवाद होने के कारण मुकदमा वादी ने फर्जी तहरीर देकर प्रार्थी को मुकदमा उपरोक्त में रंजिशन अभियुक्त बनाया है। चिकित्सक के बयान में यह कहा गया है कि सभी के शरीर की चोटें आभासी पायी गयी थी, कोई ताजा व जाहिरा चोट नहीं थी, जिससे प्रार्थी के उपर मारपीट का लगाया गया आरोप गलत साबित होता है। आवेदक का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त अभियोग में सह–अभियुक्त के साथ न्यायालय के समय दिनांक–24.09.2025 को जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था, न्यायलय द्वारा उसे अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था, दुर्भाग्यवश दिनांक–08.10.2025 को सडक दुर्घटनावश

गम्भीर रूप से चोटहिल हो गया और प्रार्थी के दोनों पैर क्षत–विक्षत हो गये, जिस कारण न्यायालय द्वारा दिनांक–10.10.2025 को नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया गया। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का एवं अजमानतीय है। उसका जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी है। न्यायालय द्वारा वादी को नोटिस निर्गत किया गया, किंतु वादी जमानत प्रार्थनापत्र पर सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध केस डायरी सहित अन्य समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियोग दैनिकी से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण के विरूद्व अभियोग पंजीकृत किये जाने के उपरांत विवेचना के अन्तर्गत संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त बबन सिंह एवं अन्य के विरूद्व विवेचक द्वारा आरोप पत्र विशेष न्यायालय एस.सी./एस.टी. एक्ट में प्रेषित किया गया। तदोपरांत पत्रावली इस न्यायालय में विचाराधीन है। आहतगण अनारकली, रतनी देवी, रामलाल के चिकित्सीय परीक्षण आख्या में कोई जाहिरा चोट दर्शित नहीं की गयी है। आवेदक/अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 19.02.2026 को जमानत पर रिहा किया गया है, आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूप्रयोग नहीं किया गया है। सम्बन्धित थाने की आख्यानुसार आवेदक/अभियुक्त का उक्त मामले के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है। सह–अभियुक्तगण उमाशंकर एवं सत्येन्द्र सिंह की जमानत इस न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **सतेन्द्र कुमार अंटिल बनाम सी.बी.आई.एवं अन्य,** 2022 SC Online 577 में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा आरोपित अपराध हेतु अनुकल्पित दण्ड की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का उचित आधार प्रतीत होता है। तदनुसार जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **बबन सिंह** का जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त प्रकरण में स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा मु0–30000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा इसी धनराशि की एक संतोषप्रद प्रतिभू दाखिल करने पर, उसे जमानत पर निम्न शर्तों के अधीन रिहा किया जाए।

1. आवेदक/अभियुक्त अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में विचारण में विलम्ब करेगा।

2. आवेदक/अभियुक्त बिना किसी स्थगन के विचारण में सहयोग करेगा।

3. आवेदक/अभियुक्त किसी अवैधानिक क्रिया कलाप को कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

इस आदेश में अधिरोपित किसी भी शर्त के व्यतिक्रम की स्थिति में अभियोजन, अभियुक्त को प्रदत्त जमानत निरस्तीकरण की कार्यवाही कर सकेगा।

दिनांक–18.03.2026

(परवेज अख्तर)
जे.ओ. कोड UP-6310
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)
प्रयागराज।